

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(8)त.शि./2005

जयपुर, दिनांक 18.5.16

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा (गैर अभियांत्रिकी) नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011-12 की रिक्ती के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | श्रीमती कोमल साहनी, प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. | - सामान्य |
| 2 | श्रीमती दिप्ती, प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. | - सामान्य |
| 3 | श्रीमती आशा गुरनानी, प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. | - सामान्य |

उपरोक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

18/5/2016
(महावीर प्रसाद वर्मा)

संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय त.शि.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव त.शि.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली

अब्दुल रजाक

(अब्दुल रजाक)

अनुभागाधिकारी त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(8)त.शि./2005

जयपुर, दिनांक 18.3.16

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा (गैर अभियांत्रिकी) नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011-12 की रिक्ती के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवक्ता, कॉमर्सियल आर्ट के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

- | | | | |
|---|--|---|---------|
| 1 | श्री सुनील चतुर्वेदी, प्रवक्ता, कॉमर्सियल आर्ट | - | सामान्य |
| 2 | श्री अनुराग, प्रवक्ता, कॉमर्सियल आर्ट | - | सामान्य |

उपरोक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

भाजा से,
18/3/2016
(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय त.शि.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव त.शि.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली

3/3/2016
(अब्दुल रजाक)
अनुभागाधिकारी त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(8)त.शि./2005

जयपुर, दिनांक 18.3.16

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा (गैर अभियांत्रिकी) नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011-12 की रिक्ती के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवक्ता, टेक्सटाईल डिजाइन के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

- 1 सुश्री विभा गर्ग, प्रवक्ता, टेक्सटाईल डिजाइन - सामान्य
- 2 श्रीमती मधु जैन, प्रवक्ता, टेक्सटाईल डिजाइन - सामान्य
- 3 श्रीमती कामना गुप्ता, प्रवक्ता, टेक्सटाईल डिजाइन - सामान्य
- 4 श्रीमती अल्का हाडा, प्रवक्ता, टेक्सटाईल डिजाइन - सामान्य

उपरोक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

भाड़ा से,
18/3/2016
(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय त.शि.
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव त.शि.
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
- 4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 5 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर
- 6 संबंधित अधिकारी
- 7 रक्षित पत्रावली

अब्दुल रजाक
(अब्दुल रजाक)
अनुभागाधिकारी त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(8)त.शि / 2005

जयपुर, दिनांक 18-3-16

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा (गैर अभियांत्रिकी) नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर वर्ष 2009-10 की रिक्ती के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवक्ता, सी. डी.डी.एम. के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

- 1 श्रीमती अनिता चतुर्वेदी, प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. - सामान्य

उपरोक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

भाज्ञा से,
18/3/2016
(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय त.शि.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव त.शि.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली

3/3/16 2/3/16
(अब्दुल रजाक)
अनुभागाधिकारी त.शि.